# CDS की अधिकतम आयु सीमा

drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-of-defence-staff-2

## प्रीलिम्स के लिये :

चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ, CDS की नियुक्ति, कार्यकाल,पदावधि एवं कार्य, रक्षा मंत्रालय से संबंधित तथ्य

## मेन्स के लिये :

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे, निहितार्थ, महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिये नियमों में संशोधन किया है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सर्विस रूल में भी बदलाव किया है।
- वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या तीन वर्ष के कार्यकाल (दोनों में से जो पहले हो) तक अपने पद पर रह सकते हैं। किसी सेना प्रमुख को CDS बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने इसलिये रक्षा मंत्रालय ने इन नियमों में सुधार किया है।
- CDS का कार्यकाल कितना होगा, इस बारे में मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है। आर्मी चीफ बिपिन रावत को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया है।
    - केंद्र सरकार ने आयु की ऊपरी सीमा के निर्धारण के लिये सेना के नियम 1954, नौसेना (अनुशासन और विविध प्रावधान) विनियम, 1965, नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम, 1963 और वायु सेना विनियम, 1964 में संशोधन किया है।
- गौरतलब है कि सेवा नियमों में संशोधन किया गया है न कि अधिनियमों में।
- सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 दिसंबर, 2019 को CDS के निर्माण को मंज़ूरी दी।
- CDS तीनों सेवाओं से संबंधित सभी मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
- CDS, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोज़गार की अनुमति भी नहीं होगी।

स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस